संख्या 11013/4/2010-स्थापना(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : | अप्रैल, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1974 – सरकारी कर्मचारी द्वारा अभ्यावेदनों के प्रस्तुतीकरण संबंधी अनुदेशों के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को उक्त उल्लिखित विषय पर इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/7/99-स्थापना(ए) दिनांक 01.11.1999 का अवलोकन करने का निदेश हुआ है, जो यह दर्शाता है कि सेवा संबंधी मामलों पर सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदनों की श्रेणियाँ निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं :-

(i) वेतन/भत्तों के भुगतान नहीं होने या अन्य मुद्दों से संबंधित अभ्यावेदन/शिकायत ।

(ii) अन्य सेवा संबंधी मामलों पर अभ्यावेदन ।

(iii) आसन्न अधिकारी उच्च प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अभ्यावेदन; तथा

(iv) सांविधिक नियमों एवं आदेश (जैसे कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 तथा याचिका संबंधी अनुदेशों के अंतर्गत अपीलें एवं याचिकाएं । (उक्त के अतिरिक्त, कभी-कभी सरकारी कर्मचारी उपयुक्त/सक्षम प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारियों को अपने अभ्यावेदनों की अग्रिम प्रति भी प्रस्तुत करते हैं ।)

2. ऐसे अभ्यावेदनों से निपटने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश उक्त कार्यालय ज्ञापन में समाविष्ट हैं, जिनका प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन किया जाना है । तथापि, यह देखा गया है कि कुछ अधिकारी एक ही मुद्दे पर अपने लगातार अभ्यावेदनों को भेजने की पद्धति अपनाए हुए हैं, जिसके कारण इसी एक ही मुद्दे की बार-बार जांच करनी पड़ती है तथा अन्य महत्वपूर्ण तथा समयबद्ध प्रकृति के मुद्दों पर विचार करने में बाधा आती है । इस विभाग ने मामले पर विचार कर लिया है । इस पर बल दिए जाने की आवश्यकता है कि सरकारी कर्मचारियों को एक ही मुद्दे पर बार-बार तथा अनेक अभ्यावेदन देने से बचना चाहिए । एक ही मुद्दे पर दूसरे अभ्यावेदन की जांच तभी की जाएगी, यदि उसमें मुद्दे से संबंधित नए परिणामों या तथ्यों के बारे में कोई नया बिंदु समाविष्ट हुआ होगा । यह निर्णय लिया गया है कि जब किसी अभ्यावेदन पर पहले ही विचार किया जा चुका है, उस स्थिति में एक ही मुद्दे पर दो से अधिक अभ्यावेदनों को अब से नज़रअंदाज किया जाएगा । सरकारी निम्नतम प्राधिकारी की अपेक्षा

उच्चतर प्राधिकारी को उसी स्थिति में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जब वह यह सिद्ध कर देगा कि इसमें बताए गए बिंदुओं या अनुरोधों पर उसके आसन्न उच्च अधिकारी या संबंधित कार्यालय के प्रमुख या मामले से निपटने के लिए सक्षम निम्नतम स्तर पर ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा पूर्णतया एवं उचित रूप से विचार नहीं किया गया है । सरकारी कर्मचारियों को उच्चतर प्राधिकारियों के पास समयपूर्व संबोधित करने से बचना चाहिए ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उक्त दिशा-निर्देशों को सभी संबंधितों की सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ नोटिस में लाएं ।

अमर बलराम

(ए. बलराम)
अवर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. लोक सभा सचिवालय / राज्य सभा सचिवालय / संसदीय कार्य मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय / उप राष्ट्रपति सचिवालय / प्रधान मंत्री कार्यालय ।
5. भारतीय चुनाव आयोग, नई दिल्ली ।
6. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
7. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
8. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
9. सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव ।
10. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
11. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग ।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वेबसाइट (www.persmin.nic.in) पर लोड करें । (100 अतिरिक्त प्रतियाँ)

अमर बलराम

(ए. बलराम)
भारत सरकार के अवर सचिव